न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 172/2023

कृष्ण चन्द्र बिश्नोई पुत्र श्री लाधूराम जाति विश्नोई उम्र 68 वर्ष निवासी वाइट हाउस, वार्ड नम्बर 25, भगतपुरा रोड़, संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– – वादी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी – – वादी
2. पैरोकार राज – – प्रतिवादी

– :: निर्णय ::– दिनांक :–31.07.2024

वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 4 एच बड़ा पटवार हल्का रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2070–2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 124/85 के मुरब्बा नम्बर 55, 69 की कुल 3.846 है. नहरी/बारानी कृषि भूमि में से 769/3846 हिस्सा यानि 0.769 है. कृषि भूमि वादी के नाम (कृष्णलाल पुत्र लाधूराम) से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है । इसी चक 4 एच बड़ा पटवार हल्का रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2070–2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 17/9 के मुरब्बा नम्बर 46, 47, 51, 72/28, 72/35 की कुल 2.783 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी के नाम (कृष्णचन्द पुत्र लाधूराम) से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। इसी चक 4 एच बड़ा पटवार हल्का रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2070–2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 18/10 के मुरब्बा नम्बर 15 की कुल 0.051 है. नहरी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.0255 है. कृषि भूमि वादी के नाम (कृष्णचन्द पुत्र लाधूराम) से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है । जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। चक 4 एच बड़ा पटवार हल्का रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2070–2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 126/86 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 0.475 है. नहरी कृषि भूमि में से 1/5 हिस्सा यानि 0.095 है. कृषि भूमि वादी के नाम (कृष्णचन्द पुत्र लाधूराम) से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है । जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। चूंकि उक्त वाद पत्र की मद संख्या 2 से 5 में वादी के नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि वादी को उसके पिताजी से विरासत में प्राप्त हुई एवं विरासत में प्राप्त हुई कृषि भूमि के तबादला से भी वादी को प्राप्त हुई । विरासतन नामान्तरण के समय कई जगह वादी का घरेलू नाम "कृष्णलाल पुत्र लाधूराम दर्ज कर दिया है एवं कई जगह वादी का नाम "कृष्णचन्द पुत्र लाधूराम" दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, विधानसभा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:41:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

की आई.डी में वादी का नाम "कृष्ण चन्द्र बिश्नोई पुत्र लाधूराम " अंकित है तथा वादी इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है जबकि कृषि भूमि के रिकार्ड में अंकित "कृष्णलाल एवं कृष्ण चन्द एवं वादी के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाता अन्य दस्तावेजात में अंकित "कृष्ण चन्द्र बिश्नोई पुत्र लाधूराम" वादी का ही नाम है तथा एक ही व्यक्ति है, जिसकी घोषणा करवाने का वादी अधिकारी है। वादी के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात की फोटो प्रतियां संलग्न वाद पत्र है। वादी का कृषि भूमि के रिकार्ड में "कृष्णलाल एवं कृष्ण चन्द' नाम दर्ज होने के कारण वादी के नाम से जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाता आदि से मिलान नहीं होता है जिसके कारण वादी को कृषि ऋण सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अड़चने पैदा होती है इसके अलावा काश्तकारो को समय समय पर मिलने वाली खाद, बीज, मुआवजा आदि की सुविधाओ से भी वादी वंचित हो रहा है । वादी ने दिनांक 10/06/2023 को प्रतिवादी के समक्ष अपनी समस्त वस्तुस्थिती से अवगत करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दरूस्त करवाने हेतू निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने श्रीमान जी न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर नाम दरूस्त करवाने हेतू हिदायत दी, बस यही वाद कारण है इसलिए वादी को उक्त दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है । वादी नेकनीयत है वादी क्लीन हैण्ड से उक्त दावा पेश कर रहा है। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर है एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करता है इसलिए पक्षकार बनाया गया है । दावा घोषणात्मक है जो 2/–रूपये के उचित न्याय शुल्क पर पेश है । वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 4 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की है उक्त कृषि भूमि की सीमा श्रीमान जी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है इसलिए वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। लिहाजा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) :– चक 4 एच बड़ा पटवार हल्का रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 124/85 के मुरब्बा नम्बर 55, 69 की कुल 3.846 है. नहरी/बारानी कृषि भूमि में से कृष्णलाल पुत्र लाधूराम के नाम दर्ज 769/3846 हिस्सा यानि 0.769 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को एवं इसी चक 4 एच बड़ा के खाता संख्या 17/9 के मुरब्बा नम्बर 46, 47, 51, 72/28, 72/35 की कुल 2.783 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में "कृष्णचन्द पुत्र लाधूराम" के अंकन को तथा इसी चक 4 एच बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 18/10 के मुरब्बा नम्बर 15 की कुल 0.051 है. नहरी कृषि भूमि में से कृष्णचन्द पुत्र लाधूराम के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 0.0255 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को तथा चक 4 एच बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 126/86 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 0.475 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से कृष्णलाल पुत्र लाधुराम के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा यानि 0.095 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को दुरस्त किया जाकर "कृष्ण चन्द्र बिश्नोई पुत्र लाधूराम" अंकित करने के आदेश दिये जावे"।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट कमांक 3618 दिनांक 28.06.2024 प्रस्तुत की गई जिसके [illegible] जांच रिपोर्ट [illegible] आराजी चक 4 एच बडा की जमाबंदी हाल खा संख्या 17/9 में खातेदार कानाम [illegible] लाधूराम जाति बिश्नोई दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि खाता संख्या 124/85 [illegible] है। पटवारी हल्का द्वारा गांव में पूछताछ करने पर बताया कि कृष्णचन्द व कृष्णलाल [illegible] लाधूराम एक ही व्यक्ति का नाम है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, वादी द्वारा प्रस्तुत जन आधार कार्ड, बैंक कार्ड, प्रार्थी का पासपोर्ट की प्रति प्रतिलिपियो में वादी का नाम कृष्ण चन्द्र बिश्नोई अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:41:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

वकील वादी की बहस सनी गई। वादी द्वारा जमाबंदी, तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवम् प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय द्वारा स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 4 एच बड़ा पटवार हल्का रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 124/85 के मुरब्बा नम्बर 55, 69 की कुल 3.846 है. नहरी/बारानी कृषि भूमि में से **कृष्णलाल पुत्र लाधूराम** के नाम दर्ज 769/3846 हिस्सा यानि 0.769 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को एवं इसी चक 4 एच बड़ा के खाता संख्या 17/9 के मुरब्बा नम्बर 46, 47, 51, 72/28, 72/35 की कुल 2.783 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में "**कृष्णचन्द पुत्र लाधूराम**" के अंकन को तथा इसी चक 4 एच बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 18/10 के मुरब्बा नम्बर 15 की कुल 0.051 है. नहरी कृषि भूमि में से कृष्णचन्द पुत्र लाधूराम के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 0.0255 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को तथा चक 4 एच बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 126/86 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 0.475 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से **कृष्णलाल पुत्र लाधुराम** के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा यानि 0.095 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को संशोधित कर "**कृष्ण चन्द्र बिश्नोई पुत्र लाधूराम**" अंकित करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जीतू कुलहेरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:41:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner